प्रकरण संख्या 19/2020 धर्मनारायण व अन्य बनाम गणेशलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बामनटुकडा, तहसील राजमसन्द में आराजी नंबर 1382 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही। दौराने वाद वकील वादी द्वारा आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. तथा आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 10.11.2020 से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वादी का वाद अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20.11.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश तलेसरा तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन नहीं किया है। लगभग तीन वर्षो तक इस प्रकरण में एक भी पेशी साक्ष्य नियत होने के बाद भी नहीं हुई अर्थात वादी को साक्ष्य में बुलाने का असवर नहीं आया तो वादी के मर जाने की सजा वारिस को क्यों दी जा रही है। जानकारी होते ही वादी द्वारा अविलम्ब आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के खारिज हुए वाद को अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपील एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाकर अबेटमेन्ट सेट असाईड किया जावे तथा वारिसान को कायम मुकाम के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1984	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:29:01 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

Page 575, RRD 1984 Page 388, AIR 1985 SC Page 606, AIR 2002 SC Page 1201, AIR 1981 All Page 240, AIR 1980 All Page 298 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें DNJ 2010 (3) SC Page 849, DNJ 2019 (1) HC Page 316, DNJ 2021 (3) HC Page 981, DNJ 2012 (2) HC Page 729, DNJ 2014 (3) HC Page 914 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि "वादी के पुत्र चतरभुज द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वादी की मृत्यु दिनांक 01.08.2013 को होने का कथन किया है, जबकि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 6 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से पेश किया गया है।" अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आधार पर वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. तथा आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. खारिज करते हुए वादी का वाद अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज किया है, जो अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। जब स्वयं वादी ही अपने वाद के प्रति लापरवाह हो तथा 6 वर्षो से भी अधिक समय तक अपने प्रकरण में कोई जानकारी नहीं करे, तो उसे न्यायालय ने न्याय की अपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2020 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ [illegible] निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:29:01 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर